राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई–मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: https://rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ4(225)रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 27595-630 दिनांकः 20/02/2025

प्रेषितिः

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.4( )रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 26080 –26115 दिनांक 03.02.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.02.2025 प्रेषित किया गया था।

निर्देशानुसार निवेदन है कि पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 03.02.2025 के क्रम में आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम दिनांक **01.03.2025** की जाती है।

अतः अंतिम दिनांक 01.03.2025 को आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बाद वांछित पात्रता / योग्यता के अनुसार जांच एवं छंटनी किए जाकर योग्य एवं सक्षम आवेदकों की सूची प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी (Excel file) एवं पीडीएफ में दिनांक **04.03.2025** तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

सादर

भवदीय,
Om Attri
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय :–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली।

कमांक :– 1322 – 1333 दिनांक :–21.02.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली।
3. श्रीमान अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति,सोजत / सुमेरपुर / बाली / जैतारण / मारवाड–जंक्शन / देसूरी / बर को प्रेषित कर निवेदन है कि एक प्रति अध्यक्ष, अभिभाषक संघ को भी उपलब्ध करवाये।
4. श्रीमान अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, पाली।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय पाली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा पाली।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश) पाली।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900

ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ4(225)रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 27631 दिनांकः 20/02/2025

–:: विज्ञप्ति ::–

वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश के **समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर** संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ (Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

अतः उक्त की निरंतरता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर / जयपुर एवं प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ (Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों / संस्थाओं से **दिनांक 01.03.2025 तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **पात्रताः** इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैंः
   - (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   - (ii) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   - (iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
   - (iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
   - (v) कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
   - (vi) वे संस्थाएं जो स्वयं मध्यस्थता में विशेषज्ञ हैं और जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त हैं।

नोटः उपरोक्त मध्यस्थता हेतु सेवारत एवं सेवानिवृत्त बैंकिंग, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, इन्श्योरेंस, शिक्षा, कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा व अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारीगण भी आवेदन कर सकते हैं।

2. **वांछित योग्यताः**
   - (i) आवेदकों द्वारा गत तीन वर्षों में भरे गये आयकर रिटर्न (ITR) के अनुसार उनकी वार्षिक आय 05 लाख रूपये या उससे अधिक हो। आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न (ITR) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(ii) आवेदक अधिवक्ता होने की स्थिति में, उनके द्वारा गत तीन वर्षों में सिविल / क्रिमिनल प्रकृति के कम से कम 36 प्रकरणों में पैरवी की गई हो। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रारूप में स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें:–

S.No.	Case Title	Case No.	F.I.R. No.	Police Station	Court Name	Case Stage	Date of Disposal
1.							

3. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थानः** पात्रता रखने वाले आवेदक / संस्था निर्धारित प्रारूप में जिस जिले में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उस जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बैंच के मध्यस्थता केन्द्र हेतु रालसा, जोधपुर / जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट https://rlsa.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी।

5. **मानदेयः** मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।

Diom Attri

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rlsa.rajasthan.gov.in

राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर / जयपुर तथा जिला मुख्यालयों एवं तालुका स्तर पर मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो यहां चिपकाएं

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में...
   अंग्रेजी में...
2. आवेदक के पिता / पति का नाम..
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में) ....
4. गृह जिला...
5. उच्च न्यायालय / जिले / तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?
   ....
6. स्थायी पता..
   ....
   ....
7. वर्तमान पता...
   ....
   ....
8. मोबाईल नम्बर...
9. ई–मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में)..
10. कार्यालय का पता..
11. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):–

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख..
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)..
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए) ....
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक...
    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी हेतु)....................................

17. वकालत का अनुभव..

18. सिविल / किमिनल प्रकरणों की संख्या जिनमें पैरवी की हो (विधि व्यवसायी हेतु)

....

19. अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभव..

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज
1.			
2.			
3.			

20. वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरण..

21. विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न का विवरणः–

क्र. सं.	आयकर रिटर्न वर्ष	आयकर रिटर्न के अनुसार कुल आय
1.		
2.		
3.		

22. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति / पत्नी हैं? हाँ / नहीं

23. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..पुत्र / पत्नी श्री... घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

नोटः आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व आयकर रिटर्न की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।